**दिनांक 18.11.2013 दिन सोमवार को जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की कार्यवाही :**

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

## -: <u>कार्यवाही</u> :-

1. मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण स्थिति कायम रखने के लिए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

2. **कल्याण विभाग की समीक्षा :-**

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक विभिन्न मदों में काफी राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है। इस संबंध में उनके द्वारा ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। इतने दिनों से राशि अव्यवहृत रहना चिन्ता का विषय है। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे संचिका में इस संबंध में प्रस्ताव दें। अगर राशि खर्च करने योग्य है तो खर्च करने का या फिर विभाग को वापस करना है तो उसका इस संबंध/में विभाग से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

(ii) बताया गया कि वर्ष 2010-11 में 220 लौहयुक्त संयंत्र के साथ चापाकल निर्माण की योजना पी.एच.ई.डी. के अधीन ली गई थी। अधिकांश चापालक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मात्र राशि विमुक्त की जानी है। उप विकास आयुक्त, किशनगंज वस्तु-स्थिति एवं स्थल भ्रमण, पूर्णता प्रमाण पत्र आदि की समीक्षा कर राशि विमुक्ति के संबंध में कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) चापाकल निर्माण के लिए ₹23.20 लाख का कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज अपना स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसा किस परिस्थिति में हुआ है?

(iv) पी.सी.सी. पथ हेतु ₹14.41 लाख में से 90% राशि विमुक्त की जा चुकी है। पथ की भौतिक जाँच कर नियमानुसार अंतिम भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(v) माडा योजनान्तर्गत समूह गठन एवं प्रशिक्षण हेतु ₹27.84 लाख अव्यवहृत है। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज 24 घंटे के अंदर संबंधित संचिका उपस्थापित करेंगे।

(vi) विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत ₹21.09 लाख अवशेष है। उप विकास आयुक्त, किशनगंज के माध्यम से संचिका उपस्थापित किया जाय।

3. अन्य सभी प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रधानों को निदेश दिया गया कि सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य, उपलब्ध राशि एवं लक्ष्य के अनुरूप कार्य-योजना का ब्यौरा अपने पास रखेंगे एवं अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखेंगे।

4. **आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता** :– इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे इसकी समीक्षा लगातार करते हुए स्वीकृत चयनित स्थल के संबंध में अंचल अधिकारियों/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को मार्गदर्शन देंगें।

5. **सामाजिक सुरक्षा** :– प्रभारी पदाधिकारी यह अनुश्रवण करेंगे कि प्रखंडों एवं अन्य एजेंसियों को उपावंटित राशि की निकासी कोषागार से हो रही है या नहीं? साथ ही, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निकासी की गई राशि का वितरण लाभार्थियों को हो रहा या नहीं? इसे भी सुनिश्चित करेंगे।

6. **भू–अभिलेखों का कप्युटरीकरण कार्य** :– भू–दस्तावेजों का कंप्युटरीकरण के कार्यों में प्रगति लाने की आवश्यकता है। संबंधित पदाधिकारी निष्ठा एवं लगनपूर्वक कार्य सम्पादित करायेंगे।

7. प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी अपने–अपने प्रखंडों के कार्यों की गहन समीक्षा कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आवश्यक मार्गदर्शन एवं निदेश देंगे।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर) 22/11/13

**(आदित्य कुमार दास**, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक-861 /जि.वि.., किशनगंज, दिनांक-22.11.2013.

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/11/13

**(आदित्य कुमार दास**, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।